न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 36 / 2020

अभय सिंह मीणा पुत्र रामकुवॉर मीणा निवारी गोविंदपुरा ढाणी दलवासा पोस्ट थानवाला तहसील देवली जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 28-10-2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1. राज0 उच्च प्राथमिक विधालय गोविन्दपुरा (दलवास) की वर्तमान जगह की भूमि आवंटन एवं खैल मैदान की भूमि आवंटन के आवंटन के आदेश, पट्टा, जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस सहित विधालय की भूमि आंवटन से संबन्धित सभी दस्तावेजों/आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतिया।

2. विधालय से खैल मेदान की अधिकतम दुरी कितनी होनी चाहिये सभी दस्तावेजों/ आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतिया।

3. राज0 उच्च प्राथमिक विधालय गोविन्दपुरा (दलवास) की शाला विकास समिति द्वारा 15 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2020 तक लिये गए सभी प्रस्तावों की प्रमाणित छाया प्रतिया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने उनके पत्र कमांक 2230 दिनाक 13-10-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई [illegible] एवं उपखण्ड अधिकारी बिन्दू संख्या (1) का सम्बन्ध तहसील कार्या[illegible] पत्रांक 1972-73 कार्यालय देवली से सम्बन्धित थी [illegible] (1) की शेष सूचना दिनांक 10-9-2020 से भिजवाई जा चुकी है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:02:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पत्र कमांक 2108 दिनांक 16–9–2020 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई है, पत्र प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। बिन्दु सं0 2 व 3 से सम्बन्धित सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवली से सम्बन्धित होने से तहसीलदार देवली द्वारा पत्र कमांक 1970–71 दिनांक 10–9–2020 से प्रार्थना पत्र की प्रति सूचना देने हेतु अन्तरित कर दी गई थी। पत्रावली में संलग्न मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समसा देवली के पत्र कमांक 511 दिनांक 9–10–2020 से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा भी आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलान्ट को यदि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवली से सूचना उपलब्ध नहीं हुई है तो अपीलान्ट नियमानुसार सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:02:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner